

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुष्ण।
न्यायालय समय में उभयपक्ष को रकू.
रकू कर आवाज लगाई लेकिन कोई उपर
नहीं आया। अतः उभयपक्ष का अविद्वन
अदम पैबवी अदम हाजरी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

अदालत अधिकारी
चौहान